

Press Release

दिनांक :- 29.09.2015

1. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से दिये गये निदेश के आलोक में पूरे राज्य में अवैध देशी/विदेशी शराब के विरुद्ध, छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कुल 30,365 लीटर अवैध शराब जप्त किया गया।

अररिया जिला में ₹3,96,000/-, सारण जिला में ₹1,16,250/-, वैशाली जिला में ₹1,53,000/-, औरंगाबाद जिला में ₹94,900/- जाँच के दौरान प्राप्त हुए जिसकी छानबीन पुलिस तथा आयकर अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

2. आदर्श आचार संहिता के Enforcement के द्वारा आज निम्नलिखित मामले दर्ज हुए :-

Defacement in Public Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	126
Defacement in Private Property (Wall Writing, Posters, Banners, Others)	5
Misuse of Vehicle (Beacon, light, Flag)	14
Violation of Loudspeaker Act	3
Illegal Meeting/Speech etc.	6
Others	12
3. Law & Order के तहत निम्नलिखित मामले आज सामने आए :-

No. of Arms/Weapons seized	15
No. of cartridges seized	61
No. of Licensed Arms verified	121
No. of Licensed Arms deposited	901
No. of Licensed Arms Cancelled	95
No. of non-bailable warrants executed	635

4. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर द्वितीय चरण के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु आज दिनांक 29.09.2015 को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र वार दाखिल नाम-निर्देशन पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :-

जिला का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या एवं नाम	कुल नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	संवीक्षा के दौरान अस्वीकृत नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या	विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
कैमूर	203-रामगढ़	14	1	13
	204-मोहनिया (अ0जा0)	16	1	15
	205-भभुआ	23	3	20
	206-चैनपुर	14	0	14
रोहतास	207-चेनारी (अ0जा0)	13	0	13
	208-सासाराम	17	3	14
	209-करगहर	21	1	20
	210-दिनारा	18	0	18
	211-नोखा	15	0	15
	212-डिहरी	17	0	17
	213-काराकाट	13	0	13
अरवल	214-अरवल	11	0	11
	215-कुर्या	23	0	23
जहानाबाद	216-जहानाबाद	18	5	13
	217-घोसी	8	0	8
	218-मखदुमपुर (अ0जा0)	13	0	13
औरंगाबाद	219-गोह	21	0	21
	220-ओबरा	18	0	18
	221-नवीनगर	18	0	18
	222-कुटुम्बा (अ0जा0)	13	1	12
	223-औरंगाबाद	21	0	21

	224-रफीगंज	16	0	16
गया	225-गुरुआ	12	0	12
	226-शेरघाटी	16	4	12
	227-इमामगंज (अ0जा0)	7	0	7
	228-बाराचट्टी (अ0जा0)	19	8	11
	229-बोध गया (अ0जा0)	15	0	15
	230-गया टाउन	16	0	16
	231-टिकारी	12	0	12
	232-बेलागंज	13	0	13
	233-अतरी	16	1	15
	234-वजीरगंज	12	0	12
	कुल योग		499	28

इस प्रकार द्वितीय चरण हेतु नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत विधिमान्य नाम-निर्देशन पत्रों की कुल संख्या 471 है।

5. बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है :-

- 1 पासपोर्ट
- 2 ड्राइविंग लाइसेंस
- 3 राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- 4 बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
- 5 पैन कार्ड
- 6 आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड
- 7 मनरेगा जॉब कार्ड
- 8 श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- 9 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- 10 निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची एवं
- 11 सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
